राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांकः एफ14(4) परि/स्टोर/टोनर रिफिलिंग/2019–20/ जयपुर, दिनांकः 17/1/2020

निविदा सूचना

परिवहन विभाग मुख्यालय, जयपुर स्थित विभिन्न प्रिन्टर्स कार्टिज के रख रखाव (AMC) एवं टोनर रिफिलिंग कार्य हेतु एक वर्ष की अवधि के लिए अनुभवी निविदादाताओं से सीमित निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र एवं निविदा की शर्तें विभाग की वेबसाइट ***www.transport.rajasthan.gov.in*** पर देखी जाकर डाऊनलोड़ की जा सकती है।

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (राशि लाखों में)	धरोहर राशि रूपये	निविदा फार्म शुल्क	टेण्डर जमा कराने की अंतिम तिथि
1.	परिवहन मुख्यालय में टोनर री–फिलिंग का कार्य	0.75	NIL	NIL	20.01.2020

उक्त कार्य हेतु निविदा मुहरबन्द लिफाफे में जिन पर स्पष्ट रूप से किये जा रहे कार्य का नाम लिखा हो, आयुक्त, परिवहन विभाग, राजस्थान जयपुर के कार्यालय में निर्धारित तिथि से पूर्व या निर्धारित तिथि को दोपहर 1.00 बजे तक जमा की जायेगी। निविदा उसी दिवस को अपराह्न 3.00 बजे विभागीय उपापन समिति द्वारा निविदादाताओं या उसके अधिकृत प्रतिनिधि, जो उपस्थित हो, के समक्ष खोली जायेगी।

उप परिवहन आयुक्त (प्रशा.)

क्रमांकः एफ 14 (4) परि/स्टोर/टोनर रिफिलिंग/2019–20/ जयपुर, दिनांकः

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, आयुक्त परिवहन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. वित्तीय सलाहकार, परिवहन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. एसीपी, मुख्यालय को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. अतिरिक्त परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. नोटिस बोर्ड।
6. रक्षित पत्रावली।

उप परिवहन आयुक्त (प्रशा.)

कार्यालय परिवहन आयुक्त, राजस्थान, जयपुर

निविदा प्रपत्र

1. टोनर री–फिलिंग कार्य हेतु सीमित निविदा
2. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम व पता..

....

3. किसको सम्बोधित की गयी उप परिवहन आयुक्त..
4. मैं/हम परिवहन विभाग द्वारा जारी की गयी निविदा सूचना में वर्णित सभी शर्तों तथा संलग्न शीट में दी गयी शर्तों को स्वीकार करते है।
5. निम्नलिखित मदों के लिए दरें निम्न प्रकार होगी।

क्र.सं.	वस्तु का नाम मय विनिर्देशों के	मात्रा	दर प्रति यूनिट
1.	HP Laser Jet 1022 रिफिलिंग मय स्याही	16 नग	
2.	HP Laser Jet 1022 DRUM		
3.	HP Laser Jet 1022 Magnetic Roller		
4.	HP Laser Jet 1022 Magnetic / Wiper/ Doctor blade		
5.	HP Laser Jet 1022 PCR		
6.	सेमसंग 3310 टोनर रिफीलिंग मय स्याही	7 नग	
7.	सेमसंग 3310 DRUM		
8.	सेमसंग 3310 Magnetic Roller		
9.	सेमसंग 3310 Magnetic / Wiper/ Doctor blade		
10.	सेमसंग 3310 Chip		
11.	सेमसंग 3310 PCR		
12.	पेनासोनिक KXMB772 रिफिलिंग मय स्याही	1 नग	
13.	पेनासोनिक KXMB772 DRUM		
14.	पेनासोनिक KXMB772 Magnetic Roller		
15.	पेनासोनिक KXMB772 Magnetic / Wiper/ Doctor blade		
16.	पेनासोनिक KXMB772 PCR		
17.	केनन MF 3010 रिफिलिंग मय स्याही	13 नग	
18.	केनन MF 3010 DRUM		
19.	केनन MF 3010 Magnetic Roller		
20.	केनन MF 3010 Magnetic / Wiper/ Doctor blade		
21.	केनन MF 3010 PCR		
22.	केनन MF 226 DN रिफिलिंग मय स्याही	3 नग	
23.	केनन MF 226 DN DRUM		
24.	केनन MF 226 DN Magnetic Roller		

25.	केनन MF 226 DN Magnetic / Wiper/ Doctor blade		
26.	केनन MF 226 DN PCR		
27.	HP Laserjet 3050	2 नग	
28.	HP Laserjet 3050 DRUM		
29.	HP Laserjet 3050 Magnetic Roller		
30.	HP Laserjet 3050 Magnetic / Wiper/ Doctor blade		
31.	HP Laserjet 3050 PCR		
32.	HP Laserjet 1005 MFP	5 नग	
33.	HP Laserjet 1005 MFP DRUM		
34.	HP Laserjet 1005 MFP Magnetic Roller		
35.	HP Laserjet 1005 MFP Magnetic / Wiper/ Doctor blade		
36.	HP Laserjet 1005 MFP PCR		
37.	HP Laserjet 1213	1 नग	
38.	HP Laserjet 1213 DRUM		
39.	HP Laserjet 1213 Magnetic Roller		
40.	HP Laserjet 1213 Magnetic / Wiper/ Doctor blade		
41.	HP Laserjet 1213 PCR		
42.	HP Laserjet Pro MFP M227 SDN	9 नग	
43.	HP Laserjet Pro MFP M227 SDN DRUM		
44.	HP Laserjet Pro MFP M227 SDN Magnetic Roller		
45.	HP Laserjet Pro MFP M227 SDN Magnetic / Wiper/ Doctor blade		
46.	HP Laserjet Pro MFP M227 SDN PCR		
47.	Samsung PROXPRESS 337	1 नग	
48.	Samsung PROXPRESS 337 DRUM		
49.	Samsung PROXPRESS 337 Magnetic Roller		
50.	Samsung PROXPRESS 337 Magnetic / Wiper/ Doctor blade		
51.	Samsung PROXPRESS 337 PCR		
52.	HP Laserjet MFP M227 FDW	2 नग	
53.	HP Laserjet MFP M227 FDW DRUM		
54.	HP Laserjet MFP M227 FDW Magnetic Roller		
55.	HP Laserjet MFP M227 FDW Magnetic / Wiper/ Doctor blade		
56.	HP Laserjet MFP M227 FDW PCR		

निविदा की निविदा एवं संविदा की शर्तें

1. निविदाओं को निविदा सूचना में दिए गए निर्देशों के अनुसार उचित रूप से मुहरबन्द लिफाफे में बन्द करके प्रस्तुत करें।।
2. निविदा दाताओं द्वारा प्रस्तुत दरों में कर एवं अन्य खर्चों का विवरण स्पष्ट होना चाहिए। अन्यथा प्रस्तुत दरें कर एवं अन्य खर्चो सहित मानी जायेगी।
3. निविदा प्रपत्र के साथ फर्म/कंपनी/एजेंसीज/संस्थान का पंजीयन/रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र संलग्न होना चाहिए।
4. निविदा प्रारूप स्याही से भरा जाएगा या टंकित किया जायेगा। पैंसिल से भरी गयी किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदादाता निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अन्त में निविदा की समस्त निबन्धनों एवं शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर करेगा।
5. दरें शब्दों एवं अंकों दोनों में लिखी जाएगी। इसमें कोई त्रुटियाँ (Errors) एवं/या उपरिलेखन नहीं होना चाहिए। अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
6. निविदायें, उनके खोले जाने के दिनांक से तीन माह की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।
7. अनुबन्ध की अवधि कार्य आदेश जारी होने से एक वर्ष के लिये होगी। दोनों पक्ष आपसी सहमति से इस अवधि को अधिकतम तीन माह के लिये अनुबंधित दरों व शर्तों पर बढ़ा सकेंगे। सात दिन का नोटिस देकर विभाग अपनी आवश्यकता के अनुसार कभी भी अनुबन्ध समाप्त कर सकता है।
8. यदि दर संविदा धारक, दर संविदा के चालू रहने के दौरान किसी भी समय राज्य में किसी को दर संविदा कीमत से कम कीमत पर समान माल संकर्मो या सेवाएं देन के लिये उसकी कीमत कम कोट करता/कम करता है तो उस दर संविदा के अधीन उपापन की विषय वस्तु के समस्त परिदान के लिये दर संविदा कीमत, कीमत कम करने या कोट करने की तारीख से स्वतः कम हो जायेगी और दर संविदा तदनुसार संशोधित की जायेगी।
9. अनुमोदित प्रदायकर्ता के लिए यह समझा जाएगा कि उसने प्रदाय की जाने वाले सेवा/माल की शर्तों, विनिर्देशों, आकार, मेक एवं रेखाचित्रों आदि की जाँच कर ली है। यदि उसे इन शर्तों, विनिर्देशों, रेखाचित्रों आदि के किसी भाग के आशय के बारे में कोई संदेह हो, तो वह संविदा पर हस्ताक्षर करने से पूर्व, उसे क्रेता अधिकारी को भेजेगा तथा उससे स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा।
10. अनुबंधित ठेकेदार अपनी संविदा को या उसके किसी भाग को किसी अन्य ऐजेन्सी, फर्म आदि को सबलेट नहीं करेगा।
11. निविदादाता या उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता (Disqualification) होगी।
12. संविदा धारक द्वारा री–फिलिंग का कार्य संतोषजनक ढंग से नहीं किया गया तो उसे तुरन्त पुनः री–फिलिंग किया जायेगा जिसका कोई अतिरिक्त चार्ज देय नहीं होगा।
13. फर्म द्वारा विभाग में टोनर रिफिलिंग संबधित कार्य की प्रति माह नियमित रूप से जॉच कर प्रभारी अधिकारी (स्टोर) को लिखित में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
14. प्रिंटर्स रिफीलिंग से संबंधित सभी अनुभागों की रिपोर्ट संतोषजनक पाये जाने पर फर्म को भुगतान प्रतिमाह किया जायेगा।
15. यदि मरम्मत हेतु किसी उपकरण को बाहर ले जाना आवश्यक होगा तो लेखाधिकारी भंडार की लिखित अनुमति उपरान्त ले जाया जा सकेगा तथा तीन दिन में मरम्मत उपरान्त वापिस लौटाना होगा।

16. प्रिंटर्स के रिफिलिंग में प्रयोग की जाने वाली स्याही एवं बदले जाने वाले अन्य पार्ट्स उच्च क्वालिटी के होने चाहिए।

17. अनुबन्धित फर्म को विभाग द्वारा अनुबन्ध अवधि में आवश्यकतानुसार टोनर री–फिलिंग हेतु लिखित अथवा दूरभाष द्वारा आदेश दिया जायेगा। आदेश तिथि को ही 2 घंटे के भीतर टोनर री–फिलिंग का कार्य पूर्ण करना होगा। यदि उसी दिन टोनर रिफिलिंग कार्य संतोषप्रद नहीं किया जाता है तो प्रति प्रिंटर प्रतिदिन 200/– रू. पैनल्टी लगाई जाएगी, जो आगामी बिल के भुगतान में से काट ली जाएगी।

18. यदि निविदादाता ऐसी शर्तें आरोपित करता है जो इसमें वर्णित शर्तों के अतिरिक्त हैं या उनके विरोध में हैं, तो उसकी निविदा को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रद्द कर दिया जाएगा। किसी भी सूरत में इनमें से किसी भी शर्त को स्वीकार किया हुआ नहीं समझा जाएगा जब तक कि क्रेता अधिकारी द्वारा जारी किए गए निविदा स्वीकृति के पत्र में विशेष रूप से उल्लेखित न किया गया हो।

19. क्रेता अधिकारी किसी भी निविदा को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की निविदा नहीं है, स्वीकार करने, बिना कोई कारण बतलाये किसी भी निविदा को रद्द करने या जिन वस्तुओं के लिए निविदादाता ने निविदा दी है, उन सबके लिए या किसी एक या अधिक के लिए निविदा को स्वीकार करने या एक फर्म/प्रदायकर्ता से अधिक को सामान की मदों में वितरित करने के अधिकार को अपने पास आरक्षित रखेगा।

20. अनुबंध अवधि में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो अपर परिवहन आयुक्त, प्रशा. का निर्णय अंतिम होगा।

21. समस्त विधिक कार्यवाहियाँ, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो, किसी भी पक्षकार (सरकार या ठेकेदार) द्वारा जयपुर स्थित न्यायालयों में ही की जाएगी, अन्यत्र नहीं की जाएगी।

22. अनुबंधित फर्म द्वारा लगाए गए इंजीनियर कार्य के दौरान आकस्मिक दुर्घटना में घायल/अपंग एवं मृत्यु हो जाती है तो उसे किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति का मुआवजा देने की समस्त जिम्मेदारी अनुबंधित फर्म की होगी। इसके लिए सरकार व इस कार्यालय प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

23. निविदा भरने से पूर्व कार्यालय समय में किसी भी कार्य दिवस में आकर कम्प्यूटर उपकरणों का निरीक्षण/जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

24. अनुबन्धित मॉडल्स के प्रिन्टर्स के अतिरिक्त यदि विभाग में नवीन मॉडल्स के प्रिंटर्स स्थापित किए जाते है तो समकक्ष प्रिन्टर्स की दरें नवीन प्रिन्टर्स पर लागू होगी।

25. उपर्युक्त शर्तो के अलावा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम (भण्डार क्रय) एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 में वर्णित प्रावधान भी लागू होंगे।

निविदादाता के हस्ताक्षर